

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 971/2020

अनवान : -

1. ओमप्रकाश पुत्र लालचन्द जाति भाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।

- वादी

बनाम

1. औकारमल पुत्र लालचन्द जाति भाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
2. टीकूराम पुत्र लालचन्द जाति भाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
3. मनाराम पुत्र लालचन्द जाति भाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
4. राणाराम उर्फ रणजीत पुत्र लालचन्द जाति भाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
5. हेतराम पुत्र लालचन्द जाति भाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा

53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक: 28/08/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स० 215/311 के ख०न० 257/2 की 2.5300 हैक्ट, ख०न० 259 की 2.5300 हैक्ट, ख०न० 565/257 की 1.7330 हैक्ट कुल 6.7930 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सीव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते हैं इसलिए कब्जा कास्त के मुताबिक वादी अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा कास्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स० 215/311 के ख०न० 257/2 की 2.5300 हैक्ट, ख०न० 259 की 2.5300 हैक्ट, ख०न० 565/257 की 1.7330 हैक्ट कुल 6.7930 हैक्ट भूमि पक्षकारान के मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा कास्त के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 व 5 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी स० 3 ता 4 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया व वादी मुताबिक अनुलोष डिकी किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 6 परोकार राज द्वारा जवाब पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी द्वारा शपथ पत्र

राहुल श्रीवास्तव
नोहर

पेश किया गया जिस पर पर जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स० 215/311 के ख०न० 257/2 की 2.5300 हैक्ट, ख०न० 259 की 2.5300 हैक्ट, ख०न० 565/257 की 1.7330 हैक्ट कुल 6.7930 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

- 1 ओमप्रकाश पुत्र लालचन्द जाति— भाट सा. देह खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा मन्दरपुरा ग्राम भावलदेसर खसरा न. 257/2 की 0.1329 है, ब.न. 565/257 की 0.8665 है. 259 की 0.1327 है, कुल 1.1321 है बा. प्रथम
- 2 मानाराम पुत्र लालचन्द जाति— भाट सा. देह खातेदारराहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा मन्दरपुरा — ग्राम भावलदेसर खसरा न. 257/2 की 1.1321 है. कुल 1.1321 है. बा.प्रथम
- 3 राणाराम उर्फ रणजीत पुत्र लालचन्द जाति— भाट सा. देह खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा मन्दरपुरा ग्राम भावलदेसर ख.न. 259 की 1.1321 है. 1.1321 है. बा. प्रथम
- 4 ओंकारमल पुत्र लानचन्द हिस्सा— 1/3 जाति— भाट सा. देह खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा मन्दरपुरा 2. टीकुराम पुत्र लालचन्द हिस्सा— 1/3 जाति— भाट सा. देह खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा मन्दरपुरा 3. हेतराम पुत्र लालचन्द हिस्सा 1/3 जाति भाट सा. देह खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा मन्दरपुरा —ग्राम भावलदेसर खसरा नं. 257/2 की 1.265 है, ख.न. 565/257 की 0.8665 है. 259 की 1.2652 है., कुल 3.3967 है बा. प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 28/08/25..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 1129/2024

अनवान : -

1. राजुराम पुत्र चेताराम जाति जाट निवासी रामपुरा मटोरिया तहसील नोहर।

- वादी

बनाम

1. रूपराम पुत्र चेताराम जाति जाट निवासी रामपुरा मटोरिया तहसील रावतसर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


राजस्व वाद संख्या 1129 सन 2024 निर्णय दिनांक 28/08/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता सा0 582/565 के ख0न0 57/2 की कुल 6.1710 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 प्रत्येक के नाम 1/2 हिस्सा संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

1. राजूराम पुत्र चेताराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा0 रामपुरामटोरिया खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बरमसर- ग्राम कानसर ख0न0 57/2 की 3.0855 हैक्ट कुल 3.0855 हैक्ट
2. रूपराम पुत्र चेताराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा0 रामपुरामटोरिया खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बरमसर- ग्राम कानसर ख0न0 57/2 की 3.0855 हैक्ट कुल 3.0855 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढा जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/08/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर